हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

सब्जी नर्सरी उत्पादन उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) स्थापित करने हेतू आवेदन

हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता एवं रोग मुक्त सब्जियों की नर्सरी उपलब्ध करवाने के लिए सब्जी नर्सरी उत्पादन उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) स्थापित करने हेतू हिमाचल प्रदेश के स्थाई पंजीकृत किसान समूहों/किसान समितियों/किसान स्वयं सहायता समूहों/किसान क्लबों/ किसानों से निर्धारित प्रपत्र पर विस्तृत परियोजना प्रस्तावों के साथ 15 अक्तूबर, 2015 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सब्जी नर्सरी उत्पादन व संरक्षित खेती के तहत सम्बन्धित समूहों/किसानों का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

उपरोक्त केन्द्र स्थापित करने के लिए 85% उपदान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा 15% हिस्सेदारी लाभार्थियों की होगी। सब्जी नर्सरी उत्पादन उत्कृष्टता केन्द्र की अनुमानित लागत लगभग 40 लाख रू होगी। इस सम्बन्ध में लाभार्थियों के चयन के लिए पूर्व आर्हाताऐं (Pre-qualifications) एवं प्रार्थना पत्र कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाईट www.hpagriculture.com से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र संपूर्ण दस्तावेज सहित 15 अक्तूबर, 2015 अपराहन् 5:00 बजे तक कृषि निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। भावी लाभार्थियों को इस परियोजना के संचालन एवं प्रबंधन बारे 10 मिनट का पावर प्वाईंट प्रैजेंटेशन देना होगा जिसके लिए उन्हे अलग से सूचित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में कृषि निदेशक हिमाचल प्रदेश को कोई भी या सभी आवेदन बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि निदेशालय हिमाचल प्रदेश, शिमला में दूरभाष न० 0177–2830174 Ext. 410 से संपर्क कर सकते हैं।

हिम सूचना एवं जन संपर्क

Prequalification Criteria for Selection of Beneficiaries under the Scheme "Centre's of Excellence for Vegetable Nursery Production" in Himachal Pradesh

1. The scheme would be available preferably to Farmers groups/ Societies / Self Help Groups/ Kisan Clubs etc. and also to the individual beneficiaries who are engaged in vegetables/ vegetables nursery production under protected or open cultivation in larger areas with a experience of minimum 3 years particularly in protected cultivation.
2. Only agriculturist of H.P. shall be eligible under the scheme and no company / firm/ commercial agency shall be eligible for assistance.
3. The area for setting up of Centre should be minimum 2500 Square meter (minimum length …….mtr. x breath……mtr.) and site should be leveled and easily approachable through road.
4. No sublet/ lease/ sale or transfer of Centre shall be allowed and Govt. reserves the right to recover the full assistance amount through legal proceedings under such eventuality. The beneficiary is also required to give affidavit in this regard.
5. The beneficiary shall have to ensure uninterrupted electricity & water supply to the Centre at his own cost at the time of submission of project proposal.
6. Skilled / Unskilled staff and labour shall be provided by the beneficiary as proposed and agreed upon in the final project report to run the project activities successfully.
7. The beneficiary shall have to undergo compulsory 1 to 3 weeks training at Centre of Excellence for Vegetables, Gharaunda (Karnal), Haryana or any other similar institute before the execution of the project.
8. The beneficiary shall allow free entry to the Centre for visiting farmers as decided by the Department of Agriculture after the Centre is functional to give demonstration effects to other farmers.
9. After one year of successful nursery production with hand holding support of service agency, the beneficiary shall operate and maintain the Centre at his own cost as a commercial venture. All running cost after project completion and disposal of nursery plants shall be the responsibility of the beneficiary.
10. The execution of the project shall be done by the Department of Agriculture through empanelled service agency in a time bound manner. The beneficiary shall have to provide levelled space and other logistics to the service agency for execution of the project along with beneficiary contribution of 15 percent of project cost.
11. The beneficiary shall submit project report for setting up of Centre of Excellence and shortlisted beneficiaries shall also be required to give Power Point Presentation before the screening committee .If

required, the committee / service agency shall also visit the site before sanctioning of the project.

12. In the project report, the documents of land, availability of water, electricity, work experience, manpower, source of beneficiary share i.e. ₹5.00 to ₹6.00 lakh approximately, marketing arrangement etc. should be clearly spelt out along with copy of bank statement and balance sheet, wherever applicable.
13. Any additional items which are not provided in the project shall have to be provided by the beneficiary at his own cost.
14. In order to make vide impact of the scheme, only one Centre of Excellence shall be set up in each district, however final decision in this regard shall depend upon availability of funds and number of shortlisted applicants.
15. The Department reserves the right to accept or reject the project proposals or restrict the approval of project proposal subject to the availability of funds with the department. The decision of Director of Agriculture, H.P. shall be final in this regard.

*****

Annexure-I

प्रार्थना पत्र

सेवा में,

कृषि निदेषक,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–5

विषय : उत्कृष्टता केन्द्र परियोजना के अन्तर्गत सब्जी नर्सरी उत्पादन स्थापित करने हेतू प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

मैं...सुपुत्र/ सुपुत्री / पत्नी श्री.. ....गांव...............................डाकघर...तहसील...जिला.... ....हिमाचल प्रदेष के स्थाई निवासी हैं । हमारी किसान पास बुक के अनुसार..मलकीयत भूमी है जिसमें से ....भूमि फसल को उगाने के लिए उपयुक्त है। अथवा

हमारा किसान समूह/ किसान समिति ....पंजीकरण संख्या............... ....द्वारा पंजीकृत है तथा हमारे समूह के पास........................मलकीयत भूमि हैं जिसमें से......... ....भूमि फसल को उगाने के लिए उपयुक्त है। मैं/हम उपरोक्त योजना के अर्न्तगत उपलब्ध वित्तीय सहायता द्वारा सब्जी नर्सरी उत्पादन उत्कृष्टता केन्द्र का निर्माण करना चाहता हूॅं/हैं । सिंचाई हेतु मेरे पास/हमारे पास उपयुक्त साधन उपलब्ध है। मैं/हम इस बारे सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से दे रहा हूॅं/दे रहें हैं।

1.	प्रार्थी / संस्था का नाम व पूरा पता	
	दूरभाष न0	
2.	कुल मलकीयत भूमि {किसान पास बुक के अनुसार}	
	क} सिंचित क्षेत्र	
	ख} असिंचित क्षेत्र	
3.	पानी का स्त्रोत	
4.	3–फेस बिजली की उपलब्धता	
5.	कुल भूमि जहां उत्कृष्टता केन्द्र परियोजना के अन्तर्गत सब्जी नर्सरी उत्पादन स्थापित का निर्माण किया जाएगा {खसरा न0 सहित} जमाबंदी व तरतीमा संलग्न करें।	
6.	सरकार द्वारा चलाई गई अन्य स्कीमों के तहत निर्मित पॉलीहाउसों पर प्राप्त वित्तीय सहायता व पॉलीहाउस का साईज / मॉडल का विवरण।	

	1. किसान बागवान समृद्वि योजना	
	2. बागवानी तकनीकी मिषन	
	3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	
	4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
	5. अन्य योजनाएं	
7.	लाभार्थी की वित्तीय स्थिति (बैंक खाते की स्टेटमैंट की प्रतिलिपी)	
8.	मैने/हमने सब्जी नर्सरी उत्पादन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित का निर्माण हेतू कम से कम एक से तीन सप्ताह का प्रषिक्षण प्राप्त दिन का प्रषिक्षण कृषि विष्वविद्यालय/उत्कृष्टता केन्द्र से ले रखा है/ लेना चाहते हैं इस बारे विस्तृत विवरण दें	
9.	सब्जी नर्सरी उत्पादन का अनुभव	
	खुले क्षेत्र में (**open field**)	
	पॉलीहाउस के अन्तर्गत (**protected cultivation**)	
10.	परियोजना कियान्वयन हेतू वितीय संसाधनों का विवरण बैंक खाते की स्टेटमैंट संलगन करें	
11.	परियोजना कियान्वयन हेतू विस्तृत कार्य योजना का विवरण	

मेरे/हमारे समूह द्वारा ऊपर दी गई सूचना पूर्ण रूप से ठीक है तथा मैं/हम परियोजना में दिए गए दिषा निर्देष के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूॅं/हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूॅं/ करते हैं कि मुझे/हमारे समूह को उक्त परियोजना के अन्तर्गत सब्जी नर्सरी उत्पादन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतू वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की जाये।

मैं/हम यह भी सत्यापित करता हूॅं/करते हैं कि उक्त सब्जी नर्सरी उत्पादन उत्कृष्टता केन्द्र निमार्ण हेतू मैंने/हमने किसी अन्य सरकारी विभाग / संस्था के अन्तर्गत चलाई जा रही स्कीम में किसी वित्तीय स्हायता हेतू आवेदन नहीं किया है/ वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है।

भवदीय,

किसान/समूह के सदसयों के हस्ताक्षर.............
पूरा पता...

टेलीफोन/मोबाईल न0...................................